अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
शैक्षणिक परिसर, माता निर्मला देवी मार्ग, कोलार रोड़, भोपाल (म.प्र.) – 462001
दूरभाष : 0755–2558606, वेबसाइट : www.abvhv.edu.in

क्रमांक / 2020 / अकादमी / अबिवाहिविवि 2126 भोपाल, दिनांक 30/9/20

प्रति,

1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, सदस्य।
2. डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी, सदस्य, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. डॉ. रेखा रॉय, प्राध्यापक, सदस्य अबिवाहिंविवि, भोपाल।
4. डॉ. भावना ठाकुर सह–प्राध्यापक, सदस्य अबिवाहिंविवि, भोपाल।
5. सुश्री उषा सरयाम, सदस्य, वित्त अधिकारी, अबिवाहिंविवि, भोपाल।

विषय : परामर्शदात्री परिषद् की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2020 का कार्यवृत।

महोदय / महोदया,

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्ययन केंद्र / स्टडी सेंटर की परामर्शदात्री परिषद् की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(डॉ. विजय कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 2020 / अकादमी / अबिवाहिंविवि 2127 भोपाल, दिनांक 30/9/20

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपतिजी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपतिजी को सूचनार्थ।
2. कुल सचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अकादमी / परीक्षा नियंत्रक / प्रभारी गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी / स्थापना शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
शैक्षणिक परिसर, निर्मला देवी मार्ग, कोलार रोड़, भोपाल (म.प्र.) – 462001
दूरभाष : 0755–2558608, वेबसाइट : www.abvhv.edu.in.com

क्रमांक/ 2020/अकादमी/अबिवाहिविवि/ 2126 भोपाल, दिनांक 30/9/20

कार्यवृत्त

अध्ययन केंद्र परामर्शदात्री परिषद् की बैठक दिनांकः 04.09.2020 दिनः शुक्रवार को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर, माता निर्मला देवी मार्ग,कोलार रोड, भोपाल में आयोजित की गई है, बैठक की कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

केंद्र का प्रभार

प्रस्ताव क्र. 01 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नवीन अध्ययन केंद्रों को मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ किया जाना है। केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2020 –21 में शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सके इसे दृष्टिगत रखते हुए केंद्रों का प्रभार सहयोगी संस्था द्वारा नामित व्यक्ति को निदेशक की अनुशंसा पर कुलसचिव द्वारा प्रभार सौंपा जावेगा।

कार्यालयीन टीप :- यहाँ यह उल्लेखनीय बिंदु है कि विश्वविद्यालय के अधीन वर्तमान में संचालित अध्ययन केंद्र इंदौर में विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन केंद्र प्रभारी को प्रभार सौंपा गया है। इसी अनुक्रम में अध्ययन केंद्र निदेशक की अनुशंसा पर कुलसचिव द्वारा प्रभार सौपा जायेगा।

निर्णय :- **परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।**

अध्यादेश क्र. 103 की समीक्षा

प्रस्ताव क्र. 02 **विश्वविद्यालय मे विद्यमान अध्यादेश क्र. 103 की कंडिका 03 की उपकंडिका 05** " अध्ययन संस्थान, समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित रू. 20,000/– (बीस हजार रूपये) की राशि का डिमांड ड्राफ्ट सहभागिता शुल्क के रूप में प्रस्तुत करेगा। विश्वविद्यालय आवेदक संस्था से किसी भी समय अपने समाधान हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।" **एवं कंडिका 03 की उपकंडिका 11** "अध्ययन संस्थान की सहभागिता प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी। सहभागिता को, नवीकरण शुल्क की राशि 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपए) के भुगतान पर

संतोषप्रद प्रदर्शन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, नवीकृत किया जाएगा।'' की समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।

शुल्क राशि का विभाजन

प्रस्ताव क्र. 03 प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र/ सहयोगी संस्था /स्टेडी सेंटर जिन विषयों में अध्ययन/अध्यापन हेतु खोले जा रहे हैं उन विषयों के छात्रों से प्राप्त समस्त शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत अध्ययन केन्द्र/एक्सटेंशन सेंटर/ सहयोगी संस्था के अधोसंरचना एवं अध्ययन–अध्यापन पर व्यय किया जायेगा, तथा 25 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगी। प्राप्त कुल राशि का प्रथमतः 65 प्रतिशत राशि संचालित अध्ययन केंद्र को सक्षम स्वीकृति उपरान्त संस्था/ अध्ययन केंद्र प्रभारी के बैंक खाते में जमा/ स्थानांतरित कर दी जावेगी। 10 प्रतिशत की राशि धरोहर राशि के रूप में विश्वविद्यालय कोष में जमा रहेगी । यह राशि सत्र समाप्ति अथवा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत कुलसचिव के निर्देश पर अध्ययन केन्द्र प्रभारी को स्थानांतरित कर दी जावेगी। परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा से संबंधित अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में जमा होगी यह अध्ययन केंद्र के खाते में जमा नहीं होगी।

निर्णय :– परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।

प्रस्ताव क्र. 04 विश्वविद्यालय केंद्र प्रभारी को विद्यार्थियों के अध्ययन – अध्यापन हेतु छात्रों की संख्या के आधार पर वर्चुअल क्लास के अनुरूप समस्त तकनीकी सुविधाएँ, शिक्षकों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अनुरूप भवन, भौतिक अधोसंरचना, प्रयोगशाला, इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल की व्यवस्था स्वयं अपनी ओर से करनी होगी।

निर्णय :– परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।

किरायानामा अनुबंध–पत्र

प्रस्ताव क्र. 05 प्रस्तावित है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्ययन केन्द्र जहाँ स्थापित किए जायेंगे वे विश्वविद्यालय के ही होंगे। उसके मालिक/संस्था से एक किरायानामा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा जिसकी अवधि एक

वर्ष की होगी । पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक यह अनुबंध लागू रहेगा तथा अगले सत्र/वर्ष का अनुबंध तभी निष्पादित होगा जब अध्ययन केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट/रिपोर्ट संतोषजनक होंगी किन्तु विश्वविद्यालय एवं भवन मालिक/संस्था को प्रतिवर्ष किराया अनुबंध संपादित करना होगा। समय-समय पर अध्ययन केंद्र का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण समिति के टीए/डीए का भुगतान अध्ययन केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा समीक्षा समिति की अनुशंसा को कुलपति जी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा । अनुमोदन पश्चात ही अगले सत्र हेतु अध्ययन केंद्र के संचालन का निर्णय लिया जायेगा।

निर्णय :- परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु दान की गई राशि का निर्धारण

प्रस्ताव क्र. 06 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की कंडिका 18 के अनुसार किसी भी संस्था से दान/चंदा कम से कम रूपये 20,000/-(बीस हजार रूपये) की राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से देय होगा, लिया जा सकेगा।

निर्णय :- परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।

अध्ययन केन्द्र का सीमा क्षेत्र

प्रस्ताव क्र. 07 एक ही संभाग/जिला/ तहसील/ नगर निगम/ नगरपालिका /नगर पंचायत /ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहाँ कि विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र / सहभागी संस्था/स्टेडी सेंटर में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, यदि कोई अन्य संस्था / संस्थाएं भी उन्हीं पाठ्यक्रमों को संचालित करना चाहती है तो ऐसी संस्थाओं को पाठ्यक्रम संचालन की कम-से-कम एक वर्ष तक अनुमति नहीं दी जा सकती है।

निर्णय :- परामर्शदात्री परिषद के निर्णयानुसार एक ही संभाग/जिला/तहसील/ नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहाँ कि विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र/सहभागी संस्था/स्टेडी सेंटर में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, यदि कोई अन्य संस्था/संस्थाएं भी उन्हीं पाठ्यक्रमों को संचालित करना

चाहती है तो ऐसी संस्थाओं को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विशेष प्रकरण में कुलसचिव की अनुमति से निर्णय लिया जा सकता है। एवं परामर्शदात्री परिषद से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

संचालित पाठ्यक्रम

प्रस्ताव क्र. 08 विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों पर प्रथमतः सत्र 2020–21 में पत्रोपाधि एवं स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए है।

निर्णय :– **परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।**

प्रकोष्ठ एवं कर्मचारियों का निर्धारण

प्रस्ताव क्र. 09 प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन करना होगा जो कि अध्ययन केंद्र से संबंधित समस्त कार्यों को करेगा। अध्ययन केंद्रों से विश्वविद्यालय से प्राप्त होने वाली 25% राशि से कर्मचारियों की पूर्ति वेतन एवं अन्य व्यय पर खर्च की जावेगी।

प्रकोष्ठ में अधोलिखित कर्मचारी एवं संसाधन होंगे :–

1. कार्यालय सहायक – 03
2. डाटा एंट्री ऑपरेटर – 02
3. भृत्य – 02
4. कम्प्यूटर – 04
5. प्रिंटर – 03
6. कार्यालय फर्नीचर – आवश्यकतानुसार
7. वाटरकूलर – 01

निर्णय :– **परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति देते हुए निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय को अध्ययन केंद्र से प्राप्त 25 % राशि प्राप्त होगी जो कि शासकीय होगी। इसका उपयोग शासकीय भर्ती प्रक्रिया में शासकीय नियामावली तथा क्रय प्रक्रिया भण्डार एवं क्रय नियम के अनुसार किया जावेगा।**

प्रस्ताव क्र. 10 समस्त पत्राचार विश्वविद्यालय के नाम से होंगे।

निर्णय :– **परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।**

सेवा प्रदाता अध्ययन केंद्र कोड

प्रस्ताव क्र. 11 — अध्ययन केंद्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय होगा तथा सेवा प्रदाता अध्ययन केंद्र को अध्ययन केंद्र कोड क्रमाँक आवंटित किया जावेगा। छात्रों की शुल्क भी अध्ययन केंद्र कोड क्रमाँक के नाम से प्राप्त की जावेगी ताकि यह ज्ञात हो सके कि किस अध्ययन केंद्र में कितने छात्र है एवं कितनी शुल्क प्राप्त हुई। अध्ययन केंद्रों से पत्राचार भी कोड क्रमाँक के माध्यम से किया जावेगा।

निर्णय :– **परामर्शदात्री परिषद् द्वारा अध्ययन केंद्र कोड क्रमांक सहमति प्रदान की गई। सहयोगी संस्था के नाम को अध्ययन केंद्र के साथ प्रदर्शित करने हेतु सुझाव दिया गया कि इस विषय को कार्यपरिषद में प्रस्तावित कर साधारण परिषद् से परिमार्जन कराना उचित होगा।**

उपाधि पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रस्ताव क्र. 12 — विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों पर शैक्षणिक सत्र 2020–21 से विभिन्न उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किए जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– **उपाधि पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सत्र 2021–22 के लिए परिषद् की आगामी बैठक में विस्तार से चर्चा की जायेगी।**

प्रस्ताव क्र. 13 — अध्ययन केंद्र/संस्था द्वारा जहाँ पर केंद्र की स्थापना की जायेगी उसकी समस्त अधोसंरचना /उपकरण पर अध्ययन केंद्र/संस्था का अधिकार होगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित केंद्र का संचालन बंद किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्था की समस्त अधोसंरचना/ उपकरण पर संस्था का अधिकार होगा।

निर्णय :– **परामर्शदात्री परिषद् द्वारा सहमति दी गई।**

अन्य प्रकरण अध्ययक्ष की अनुमति से।

प्रस्ताव क्र. 01 — सहयोगी संस्था एवं विश्वविद्यालय के बीच होने वाले समझौते एवं संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु अनुमति -- पत्र या एम.ओ.यू. करने पर विचार।

निर्णय :– **अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया है कि संस्था व विश्वविद्यालय के बीच किसी भी प्रकार का समझौता/एम.ओ.यू. नहीं किया जायेगा।**

(डॉ. विजय कुमार सिंह) (प्रो. रामदेव भारद्वाज)